150 केन्द्रीय लोक उद्यमों को शक्ति प्रदान करना–मिनीरत्न लोक उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों को बढ़ाना

अधोहस्ताक्षरी को लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों को वित्तीय और प्रचालन संबंधी स्वायत्तता देने संबंधी इस विभाग के तारीख 9 अक्टूबर 1997 के का.ज्ञा. सं. लो.उ.वि./11(36) –वित्त का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसमें मिनीरत्न लोक उद्यमों को विभिन्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए इस वायदे को ध्यान में रखते हुये कि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सफलतापूर्वक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंध और वाणिज्य संबंधी स्वायत्ता प्रदान की जाएगी, सरकार ने मिनिरत्न लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को इस समय प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और निम्नलिखित तरीके से शक्तियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(i) पूंजीगत व्यय

(क) श्रेणी–I में लोक उद्यमों के लिएः सरकारी अनुमोदन के बिना नए प्रोजेक्टों, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति को संशोधित करके 500 करोड़ रूपये या निवल संपत्ति के समतुल्य, जो भी कम हो, किया गया है।

(ख) श्रेणी–II के लोक उद्यमों के लिएः सरकारी अनुमोदन के बिना नए प्रोजेक्टों, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति को संशोधित करके 250 करोड़ रूपये या निवल संपत्ति के 50% के समतुल्य, जो भी कम हो, किया गया है।

(ii) संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

(क) श्रेणी–I के लोक उद्यमः भारत में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए ईक्विटी निवेश की अधिकतम सीमा एक प्रोजेक्ट में लोक उद्यम की निवल संपत्ति का 15% होगी जो अधिकतम 500 करोड़ रूपये होगी। सभी प्रोजेक्टों पर एक साथ मिलाकर इस निवेश की कुल अधिकतम सीमा उद्यम की निवल संपत्ति का 30% होगी।

(ख) श्रेणी–II के लोक उद्यम: भारत में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए ईक्विटी निवेश की अधिकतम सीमा एक प्रोजेक्ट में लोक उद्यम की निवल संपत्ति का 15% होगी जो अधिकतम 250 करोड़ रूपये होगी। सभी प्रोजेक्टों पर साथ मिलाकर इस निवेश की कुल अधिकतम सीमा लोक उद्यम की निवल संपत्ति का 30% होगी।

(iii) इन लोक उद्यमों के निदेशक मंडलों को इन शर्तों के साथ विलय और अधिग्रहण की शक्तियां प्राप्त होंगी कि (i) यह लोक उद्यमों की वृद्धि योजना के अनुसार होना चाहिये और यह लोक उद्यमों की कार्य प्रणाली की मुख्य विषय होना चाहिये। (ii) इसकी शर्तें और सीमाऐं वही होंगी जो संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामले में होगी; और (iii) विदेश में निवेश करने के मामले में आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडल समिति को सूचना दी जाएगी। यह लोक उद्यम विभाग के तारीख 11.2.2003 के का.ज्ञा. सं. 3(2)/2003–लो.उ.वि.(वित्त) जी एल XVI के आंशिक संशोधन में है।

(iv) इन लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को उद्यम के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों का मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्ति, स्थानान्तरण, तैनाती आदि) से संबधित शक्तियों को आगे उप समितियों या लोक उद्यमों के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त है।

(v) लोक उद्यम के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में कारोबार के संबंध में प्रकार्यमूलक निदेशक की 5 दिनों की विदेश यात्रा (अध्ययन यात्रा, संगोष्ठी आदि के अलावा) का अनुमोदन देने की शक्ति प्राप्त है तथा इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को दी जाएगी। मुख्य कार्यपालक के मामले सहित अन्य सभी मामलों में विदेशों में की जाने वाली यात्राओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

3. इस समय मिनीरत्न हैसियत इस शर्त के अधीन है कि ये लोक उद्यम बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे। जहां कहीं विदेशी दाता एजेंसियों की मानक शर्त के अनुसार सरकारी गारंटी की आवश्यकता है वह प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाए। यह सरकारी गारंटी मिनी रत्न हैसियत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अधीन प्रत्योजित अन्य शक्तियाँ अपरिवर्तित रहेंगी। उक्त कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तें और दिशा निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

5. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषय–वस्तु को इन उद्यमों की जानकारी में लाए।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा. सं. 18(24)/2003 – जी एम – जी एल–65, दिनांकः 5 अगस्त, 2005)